ऑन लाईन नं. GCMS 2025/2

यालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री वार्ड नं–06 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर। मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर।

2. सुनील वधवा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वधवा (मालिक), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं–04 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर। मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर

अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 02.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन कमांक सं०–प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप–3 /ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता० / संस्था / 2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता०/ खासुऔनि / संस्था / 2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.09.2024 को समय दोपहर 11:20 ए एम बजे को **मैसर्स–वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर विक्रेता **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता)** को अपना परिचय दे कर दुकान पर रखी **बेसन बूँदी लड्डू** के बारे में जानकारी चाही इस पर विकेता ने दुकान में रखे स्टील के ट्रे के अंदर **बेसन बूँदी लड्डू (वनस्पति से निर्मित)** लगभग 05 किलो को आमजन में बेचान वास्ते बताया, जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **बेसन बूँदी लड्डू (वनस्पति निर्मित)** नमूना जॉच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बेसन बूँदी लड्डू (वनस्पति निर्मित)** में से 2 किलोग्राम विक्रेता से साफ–सुथरी स्टील ट्रे में खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **बेसन बूँदी लड्डू (वनस्पति निर्मित)** का नगद भुगतान 280 रूपये किया तथा केशमीमों बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

को कहा जिसे विक्रेता **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरमान (विक्रेता)** को देकर असल प्रति पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन बूँदी लड्डू (वनस्पति निर्मित)** 02 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Formilin की 40 बूँदे डालकर ढक्कन को कसकर वंद किये और 4 डिब्वों पर लेवल तैयार कर टेप से चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2447** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं **के–2447** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1084/Act/2024/1084 Dated 18.09.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2447 Substandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जाचं का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री वार्ड नं–06 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर। मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर और सुनील वधवा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वधवा (मालिक), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं–04 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **बेसन बूँदी लड्डू (वनस्पति निर्मित)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि परिवाद का बिंदु संख्या 1 में जो तथ्य दर्ज है उसमें अभियुक्तगण का जवाब आवश्यक नही है।

2. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 2 कानूनी है।

3. यह कि परिवाद का बिंदु संख्या 3 अस्वीकार है क्योकि दिनांक 06.09.2024 को समय 11:20 एम पर अभियुक्तगण से परिवादी की कोई मुलाकात नही हुई ना ही दुकान पर रखी बेसन, बूदी, लडडू आदि के बारे में अभियुक्तगण से जानकारी ली गई ना ही इस संबंध में कोई कार्यवाही मौका पर की गई है, मौका पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये थे। अभियुक्तगण को फार्म हुए पर भरकर हस्ताक्षर नहीं करवाये थे ना ही अभियुक्तगण को फार्म–05 ए की कोई जानकारी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त तथ्य जुड़ा व मिथ्या बनाया गया है।

4. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 04 किस प्रकार दर्ज है अस्वीकार है। अभियुक्तगण की किसी संस्था का परिवादी ने कोई निरक्षण नहीं किया और ना ही कोई 2 किलोग्राम मिठाई 280 रूपये की खरीद की गई और न ही कोई केशमिमो बनाया गया।

5. यह कि परिवाद का बिंदु संख्या 05 अस्वीकार है क्योंकि आवेदक ने मौके पर फार्म संख्या– 05 ए की प्रतियां अभियुक्तगण को न पढ़कर सुनाई और ना ही समझाई और ना ही अभियुक्तण ने कोई हस्ताक्षर किये। वास्तविकता यह है कि उस समय इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई।

6. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 06 अस्वीकार है क्योंकि अभियुक्तणों के समक्ष किसी भी प्रकार के सैम्पल नहीं लिए गए और ना ही कोई नमूना सील किया गया। सभी तथ्य गलत और झूठे दर्ज किये गये हैं।

7. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 07 अस्वीकार है मौके पर कोई फर्द तैयार नहीं हुई और ना ही अभियुक्तण राजेंद्र कुमार के द्वारा हस्ताक्षर किये गये। जो फर्द रिपोर्ट संलग्न की गई उसका अभियुक्तगण से कोई वास्ता नहीं है।

8. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 08 अस्वीकार है क्योंकि अभियुक्तगण का फार्म–6 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फार्म संख्या–06 के बारे में कोई तथ्य दर्ज किये गये हैं वे झूठे हैं।

9. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 609 अस्वीकार है क्योंकि वास्तय नमूना जांच बेसन–बूंदी लडडू का कोई सैम्पल आवेदक ने अभियुक्तगणों के सामने नहीं लिया और ना ही अभियुक्तगणों ने बेचान किया। इस स्थिति में वनस्पति निर्मित का नमूना सबस्टैण्डर्ड फूड या ना होना मायने नहीं रखता क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही हुई ही नही ना ही सैम्पल कोई लिये गये।

10. यह कि परिवाद की बिदूं संख्या 10 अस्वीकार है क्योंकि आवेदक के द्वारा की गई कार्यवाही से अभियुक्तगणों को किसी प्रकार की कोई कार्यवाही संबंधी जानकारी नहीं दी गई जिसके बाद अभियुक्तगण रैफरल फूड लैब से जांच करवाने का आवेदन कर सकें।

11. यह कि परिवाद की बिंदु संख्या 11 अस्वीकार है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

12. यह कि परिवाद का विंदु संख्या 12 भी अस्वीकार है

13. यह कि परिवाद की विंदु संख्या 13 अस्वीकार है कि अभियुक्तगण का खाद्य पदार्थ को विक्रय नहीं किया गया है इसलिए FSSA ACT 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन नही है अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्माना राशि भी अधिरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अन्य तथ्य

1—यह कि उक्त परिवाद केवल मात्र राजनीतिक द्वेषता व रंजिश के कारण प्रस्तुत किया गया है अभियुक्तगणों का इस परिवाद से कोई सरोकार नहीं है।

2—यह है कि अभियुक्त राजेंद्र कुमार द्वारा आवेदक को मिठाई विक्रय नहीं की गई है ना ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है जिससे कि यह सावित हो सके कि अभियुक्त मिठाई की दुकान पर मिठाई विक्रय करता है या कोई मिठाई की दुकान का कार्मिक हो, अभियुक्तगण सुनील वधवा के मिठाई की दुकान का मालिक होने संवंधित भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है ना ही पत्रावली पर मिठाई की दुकान के मालिकाना हक संवंधित कोई दस्तावेज मौजूद है जिससे कि यह तथ्य साबित हो सके कि अभियुक्तगण सुनील वधवा स्वीट कॉर्नर का मालिक हो केवल मात्र मौखिक रूप से विना किसी विधिक दस्तावेज के खाद्य पदार्थ विक्रय करने का विक्रेता या मालिक घोषित करना न्यायोचित नहीं हो सकता।

3— यह की वधवा स्वीट कॉर्नर अभियुक्तगणों की रजिस्टर्ड फर्म हो ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

4—यह कि उक्त प्रकरण में FSSA एक्ट की धारा 32 की पालना नहीं की गई परिवाद में इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया कि खाद्य पदार्थों की निर्माता दिनांक कव की तथा उक्त खाद्य पदार्थ किसके द्वारा निर्मित किया गया वह उस खाद्य पदार्थ में किन—किन खाद्य पदार्थों को मिलाकर तैयार किया गया जिससे कि उसकी गुणवत्ता अशुद्धता पहचानी जा सके तथा मौखिक रूप से उक्त खाद पदार्थ को मिसब्रांड की परिभाषा में नहीं दर्शाया जा सकता है

5—यह की अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करना न्यायोचित नहीं होगा अधिकतम तौर पर अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार करने का नोटिस दिया जा सकता है उक्त मामले में अगर पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो स्पष्ट तौर पर परिवाद निरस्त करने योग्य है।

अतः जवाब परिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवाद को भारी हर्जाने सहित खारिज फरमाया जावे। श्रीमान जी की कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बेसन बूंदी लड्डू (वनस्पति निर्मित)** का सैम्पल **K-2447** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./1084/Act/2024/1084 Dated 18.09.2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए परिवाद को भारी हर्जाने सहित खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Besan Laddu Made in Vanaspati** bearing code No. K-2447 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as extracted fat does not conform the standards of Vanaspati** as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री वार्ड नं–06 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर। मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर और सुनील वधवा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वधवा (मालिक), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं–04 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीरभान (विक्रेता), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री वार्ड नं–06 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर। मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर और सुनील वधवा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वधवा (मालिक), हरगोविन्द प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं–04 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर मैसर्स वधवा स्वीट् कार्नर, गुरूनानक चौक सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।